

राजस्थान सरकार  
निदेशालय महिला अधिकारिता

क्रमांक एफ 13()/निमअ/WSHGI/ब.घो./कलेवा/ 23344-76 जयपुर, दिनांक 18-6-10


उपनिदेशक  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
समस्त

विषय— कलेवा योजना में SHG को पारिश्रमिक के क्रम में।

प्रसंग— विभागीय पत्रांक 20299-331 दिनांक 06.05.10 व 21593-625  
दिनांक 25.05.10

विषयांतर्गत कलेवा योजनान्तर्गत SHG को पारिश्रमिक का भुगतान करने के संदर्भ में योजना में उल्लेखित प्रस्तावानुसार SHG को भोजन आपूर्ति के पारिश्रमिक, बर्तन व अन्य व्यय के लिए 10 रु प्रति लाभार्थी/प्रति दिवस न्यूनतम 10 लाभार्थी को आधार मानकर 10 रु x 10 लाभार्थी = 100 रु प्रति दिवस भुगतान किया जाएगा। लाभार्थियों की संख्या 10 से अधिक होने पर उनकी संख्या के आधार पर 10 रु प्रति लाभार्थी के अनुसार भुगतान किया जायगा।

अतः SHG को उक्तानुसार प्रतिमाह भुगतान किया जाना सुनिश्चित करावें।

  
आयुक्त  
महिला अधिकारिता  
राज., जयपुर

क्रमांक एफ 13()/निमअ/WSHGI/ब.घो./कलेवा/ 23377 जयपुर, दिनांक 18-6-10  
प्रतिलिपि— कम्प्यूटर प्रोग्रामर को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

71876  
AD, SHG